रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14,1937
No. 361] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून,2015

सा.का.नि.452(अ).–केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007(2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र सीमा बल में जज अटर्नी जनरल (उप–महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती (संशोधन) नियम,2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल में जज अटर्नी जनरल (उप–महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट),उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती नियम,2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 8 क. गैर नागरिकों की अपात्रता .– कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति और नियोजन को विवर्जित किया जाएगा".

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,–

(क) क्र.सं. 1. में दिए गए जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) के पद के सामने, स्तंभ (11) के नीचे की प्रविष्टियों में, " प्रतिनियुक्ति/आमेलन" शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जायेगा, अर्थात् :-

" **टिप्पण1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें।";

(ख) क्र.सं.2 में दिए अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट) के पद के सामने, स्तंभ (11) के नीचे " प्रतिनियुक्ति/ आमेलन" शीर्षक के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के ऐसे आफिसर जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य हो,–

(i) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड–4(37400–67000 रु.)+ग्रेड वेतन 8700रु. में नियमित आधार पर सदृश या समतुत्य पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास विधिक मामलों या न्यायालय के मामलों को निपटाने का पद्रह वर्ष का अनुभव है ; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड–3(15600–39100रु.)+ ग्रेड वेतन 7600रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास विधिक मामलों या न्यायालय के मामलों को निपटाने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है ; या

(iii) जिन्होंने वेतन बैंड–3(15600–39100रु.) + ग्रेड वेतन 6600रु. की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास विधिक मामलों या न्यायालय के मामलों को निपटाने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है ; या

(ख) राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे सदस्य जो वेतन बैड–4(37400–67000 रु.)+ ग्रेड वेतन 8700रु. में सदृश या समतुल्य पदधारण किये हुए हैं और जिनके पास विधिक मामलों या न्यायालय के मामलों को निपटाने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(ग) क्र.सं. 3. में दिए गए उप जज अटर्नी जनरल(उप कमांडेंट) के पद के सामने, स्तंभ(11) के नीचे की प्रविष्टियों में, " प्रतिनियुक्ति/आमेलन" शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।" ;

(घ) क्रं.सं. 4. में दिए गए जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) के पद के सामने,–

i) स्तंभ (6) के नीचे की प्रविष्टियों में "35 वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों और अकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।";

ii) स्तंभ (7) के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् "आवश्यक" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"शारीरिक मान :

(क) पुरुषों के लिए :

ऊँचाई : 165 से.मी.

छाती : 81 से.मी. (बिना फुलाए)

86 से.मी. (फुलाकर)

वजन : 50 कि.ग्रा. (ऊँचाई के अनुपातिक के अध्यधीन रहते हुए)

(ख) महिलाओं के लिए :

ऊँचाई :157 से.मी.

छाती : लागू नहीं होता

वजन : ऊँचाई के अनुसार किन्तु 46 कि.ग्रा. से अन्यून।

"चिकित्सा मानक :

(क) दृष्टि (चश्मा सहित या चश्मा के बिना)

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
बेहतर आँख	बदतर आँख	बेहतर आँख जे आई	बदतर आँख जे आई आई
6/6 या 6/9	6/12 6/9		

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पाँव, फुली हुई नसें या भौंगी आँखों वाला नहीं होनी चाहिए और उच्च रंग दृष्टि वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तब्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो।" ;

(iii) स्तंभ (10) के नीचे की प्रविष्टियों में "सीधी भर्ती द्वारा" शीर्षक के स्थान पर " संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा" शीर्षक रखा जाएगा।" ;

(iv) स्तंभ (12) के नीचे की प्रविष्टियों में "विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी" शीर्षक के स्थान पर विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)" शीर्षक रखा जाएगा ।

[फा. सं.22/1/एसएसबी/बीएन/एएमईएनडी/13/एसएफएस]

शैलेश, संयुक्त सचिव (पुलिस-II)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.104(अ), तारीख 16 फरवरी,2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

G.S.R. 452(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 8, the following rule shall be inserted, namely :-

"8A. Ineligibility of non-citizens.- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.".

3. In the Schedule to the said rules,-

(a) against the post of Judge Attorney General (Deputy Inspector General) appearing at serial number 1, in the entries under column 11, under the heading "By deputation/absorption", for Note 1, the following note shall be substituted, namely :-

"Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion";

(b) against the post of Additional Judge Attorney General (Commandant) appearing at serial number 2, for the entries under column 11, under the heading "By deputation/absorption", the following entries shall be substituted, namely :-

"(a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Central Armed Police Forces including Sashastra Seema Bal, having a degree in law from a recognised University or equivalent,-

(i) holding analogous post in the Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with grade pay of Rs.8700 or equivalent on regular basis in the parent cadre or department, having fifteen years of experience in dealing with legal matters or court cases; or

(ii) with five years' regular service in the grade of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with grade pay of Rs.7600, having fifteen years of experience in dealing with legal matters/court cases; or

(iii) with ten years' regular service in the grade of Pay Band-3 (Rs15600-39100) with grade pay of Rs.6600, having fifteen years of experience in dealing with legal matters or court cases; or

(b) a Member of the State Judicial Service holding analogous post in the Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with grade pay of Rs.8700 or equivalent having fifteen years' of experience in dealing with legal matters or court case.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 4: For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be

deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.";

(c) against the post of Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) appearing at serial number 3, in the entries under column 11, under the heading "By deputation/absorption", for Note 1, the following note shall be substituted, namely:-

"**Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.";

(d) against the post of Judge Attorney (Assistant Commandant) appearing at serial number 4,-

(i) in the entries under column 6, after the words and figures "Not exceeding 35 years", the following entries shall inserted, namely:—

"(Relaxable for government servants for five years in accordance with the orders issued by the Central Government from time time.)

Note: The crucial date for determination of age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.";

(ii) after the entries under column 7, under the heading "Essential", the following entries shall be inserted, namely:—

"Physical Standard :

(a) For male : Height : 165 cms.

Chest : 81 cms. (unexpanded),

: 86 cms. (expanded)

Weight : 50 Kgs. (Subject to the proportionate of height)

(b) For female : Height : 157 cms.

Chest : Not-applicable.

Weight : According to height but not less than 46 Kgs.

Medical Standard:

(a) Eye Sight (with or without glasses)

Distant vision		Near vision	
Better Eye	Worse Eye	Better Eye	Worse Eye
6/6	6/12	JI	JII
		or	
6/9	6/9		

(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose veins or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any Physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.";

(iii) in the entries under column 10, for the heading "By direct recruitment", the heading "By direct recruitment to be conducted by Union Public Service Commission" shall be substituted.";

(iv) in the entries under column 12, for the heading "Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of", the heading "Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)" shall be substituted.

[F. No. 22/1/SSB/BN/AMEND/13/SFS]

SAILESH, Jt. Secy. (Police-II)

Note- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 104 (E), dated the 16th Feb, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.